अपराध पंजीकरण, अन्वेषण, नतीजा प्रस्तुत करने के संबंध में

Content समय : 90 min

1. संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में– परिपत्र 2647–2724 दिनांक– 31.01.2019
2. पुलिस थानों की कार्य प्रणाली के बारें में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु डिकॉय आपरेशन एवं अन्य उपायों के संबंध में, क्रमांक 214–64 दिनांक 11.01.2019
3. अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में– स्थाई आदेश 4/2019 क्रमांक 3166–3241 दिनांक–07.02.2019
4. प्रकरणों का अन्वेषण, न्यायालय में चालान का प्रस्तुतिकरण एवं अग्रिम अनुसंधान, क्रमांक 2787–847 दिनांक 27.02.2019
5. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न चर्चा, क्रमांक 3854–3929 दिनांक 13.02.2019

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

स्टेट क्राईम [illegible] ब्यूरो
दिनांक 5/2/19

क्र.सं. [illegible]/CB/PRC/परिपत्र/2019/2647-2724 दि. 31.01.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषय: संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में।

संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस के लिए विधि की अपेक्षा के साथ-साथ एक मौलिक कर्त्तव्य भी है। किसी भी परिवादी के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दिए जाने पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तत्काल दर्ज होने से उसके मन में पुलिस की संवेदनशीलता एवं कार्यकुशलता की छवि प्रतिबिंबित होती है। वहीं इस कार्य में पुलिस द्वारा देरी, टालमटोल या असंगत प्रतिक्रिया देने पर परिवादी की पीड़ा और बढ़ जाती है तथा विधिक प्रक्रिया प्रारंभ होने में देरी से इसका अनुचित लाभ आरोपी को मिलता है। ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जिनमें पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्र.सू.रि. पंजीबद्ध कर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा इस सम्बन्ध में सत्यापन कर वास्तविकता जानने का प्रयास किया जिसमें कुल 2 स्थानों पर ही नियमनुसार तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध होने की पुष्टि हुई। सतर्कता शाखा की कार्रवाई में पुलिसकर्मियों की व्यवहारकुशलता में भी कमी परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आम जन को त्वरित पुलिस सेवाएँ प्रदान करने में तथा किसी भी पीड़ित की समस्या का विधिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए उचित निदान करने में सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम उसके परिवाद का पंजीकरण है। पुलिस थाना एक ऐसा स्थान है जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का व्यक्ति, किसी भी समय, बिना किसी भय या संकोच के जा सकता है तथा अपनी समस्या मौखिक या लिखित रूप से बता सकता है और ऐसा करने पर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करते हुए उसे आवश्यक पुलिस सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि हम इस ओर संवेदनशील एवं सतर्क नहीं हैं तो हम आम-जन का विश्वास अर्जित नहीं कर सकते और अपराध-मुक्त समाज के निर्माण में जनता की सहभागिता प्राप्त नहीं कर सकते।

78/
5/2/19

☎: +91-141-2744435 🖷: +91-141-2740693 ✉: dgp@rajpolice.gov.in

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस थाने पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सद्व्यवहार से पेश आएँ एवं उसके द्वारा संज्ञेय अपराध, विशेषकर व्यावसायिक (professional) अपराध की सूचना देने पर अथवा पुलिस थाने पर किसी भी माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना पर तत्काल विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्र.सू.रि. दर्ज करें तथा अग्रिम कार्रवाई करें। इस प्रक्रिया को अत्यंत सहजता एवं सौम्यता के साथ पूर्ण करते हुए ऐसी उत्तम कार्यशैली अपनाई जाए जिससे पीड़ित व्यक्ति का कानून में विश्वास सुदृढ़ हो। उच्चाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराएँ।

सद्भावी,

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
3. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

☎: +91-141-2744435 🖷: +91-141-2740693 ✉: dgp@rajpolice.gov.in

(5) (4)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः- 214-64 दिनांकः- 11/01/019

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
   समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस
2. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
   समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।

विषय :- पुलिस थानों की कार्य प्रणाली के बारे में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु डिकॉय आपरेशन एवं अन्य उपायों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः पुलिस थानों पर प्रकरण दर्ज करने, परिवादी के साथ उचित व्यवहार नहीं करने जैसी शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होती रहती हैं। श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार अभी 5 जनवरी, 2019 को एक परीक्षण के तौर पर सतर्कता शाखा के 7 दलों को विभिन्न पुलिस थानों पर वाहन चोरी के प्रकरण दर्ज कराने एवं पुलिस कर्मियों के व्यवहार का परीक्षण करने हेतु भेजा गया, जिसमें निम्न परिणाम सामने आये –

1. लगभग सभी पुलिस थानों पर प्रारम्भ में वाहन चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी प्रकट की गई तथा 7 में से 2 ही पुलिस थानों द्वारा वाहन चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये और 5 पुलिस थानों द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।
2. कुछ पुलिस थानों पर वाहन चोरी की सूचना देने पर उनके द्वारा वाहन की तलाश हेतु कुछ प्रयास किये गये परन्तु कुछ पुलिस थाने ऐसे भी सामने आये जिनके द्वारा वाहन चोरी की सूचना पर पूर्णतया उदासीन रवैया अपनाया गया।
3. इस परीक्षण में यह सन्तोषजनक रहा कि 7 में से 6 पुलिस थानों पर परिवादी के रूप में गये सतर्कता शाखा के दल के साथ उचित व्यवहार प्रदर्शित किया गया परन्तु एक पुलिस थाना पर थानाधिकारी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया।
4. यह भी सामने आया कि पुलिस थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों में वाहन चोरी की ई–एफ.आई.आर. के विषय में जानकारी कम प्रतीत होती है क्योंकि इस परीक्षण में परिवादी के रूप में गये सतर्कता दल को कहीं भी ई–एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु परामर्श नहीं दिया गया।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

1. संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अभियोग पंजीबद्ध करना दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 154 (1), राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 31 तथा इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2018 दिनांक 30.07.2018 के अनुक्रम में अनिवार्य हैं। अतः आप अपने क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थानों के थानाधिकारीगण को पुनः इस विषय में निर्देशित करें कि पुलिस थानों पर प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना पर अविलम्ब प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाये।

2. अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी पुलिस थानों के थानाधिकारीगण को निर्देशित करें कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफ0आई0आर0 पंजीयन, चिकित्सकीय परीक्षण, नाकाबन्दी, मौका निरीक्षण आदि कार्यवाहियाँ तुरन्त की जाये तथा इनमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जाये।

3. पुलिस थानों पर आने वाले परिवादीगण के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करने पर आमजन में पुलिस विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः परिवादीगण के साथ उचित व्यवहार करने हेतु पुलिस कर्मियों को पुनः संवेदनशील किया जाये।

4. वाहन चोरी की ई–एफ.आई.आर. दर्ज कराने की सुविधा के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये।

5. आप अपने स्तर पर भी पुलिस थानों के बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करने, नाकाबन्दी–गश्ती दल द्वारा वाहनों से अवैध वसूली आदि बाबत प्राप्त सूचनाएं एवं शिकायतों के सत्यापन हेतु माह में कम से कम एक बार इस तरह के डिकॉय आपरेशन आवश्यक रूप से करावें। आपके द्वारा किये गये डिकॉय आपरेशन की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जरिये डी0ओ0 अधोहस्ताक्षरकर्ता को ईमेल–adgp.vigilance@rajpolice.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सतर्कता शाखा के द्वारा दिनांक 05.01.2019 को किये गये डिकॉय आपरेशन की भांति भविष्य में भी डिकॉय आपरेशन किये जाते रहेंगे।

भवदीय,

11/01/19

(गोविन्द गुप्ता)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सतर्कता, राजस्थान, जयपुर।

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– CID/CB/PRC/परिपत्र/2019/3166-3241 दिनांकः– 7-2-2019

स्थाई आदेश संख्याः– 4/2019

विषयः– अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में।

स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो
राज. जयपुर
दिनांक 8/2/19
निदेशक
उप महानिदेशक
पु. अधीक्षक
अति. पुलिस अधीक्षक
शाखा

अनेक अवसरों पर पाया गया है कि अपराधिक प्रकरणों में अभिक्तगण गलत नाम, पते बता कर जमानत अथवा मुचलके पर रिहा हो जाते है। उन्हें बाद में तलाश कर पाना असंभव हो जाता है। न्यायालय से सम्मन अथवा वारन्ट प्राप्त होने पर तामील होने पर कठिनाई आती है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा नाम व पता गलत होने की रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। फलस्वरूप अपराधिक प्रकरण न्यायालय में निर्णित नहीं हो पाते। इस कठिनाई से निपटने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में परिवादी, अभियुक्तगण, मौतबिरान, जामिन विशेषज्ञों यथा एफ.एस.एल. विशेषज्ञ, मेडिकल ज्यूरिस्ट, अनुसंधान अधिकारी आदि के संबंध में **परिशिष्ट संख्या 1** में वर्णितानुसार सूचनाएं सही, पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे तथा उनकी पहचान हेतु परिशिष्ट संख्या 2 में वर्णित पहचान पत्रों में से एक को (जहाँ तक संभव हो फ़ोटो युक्त पहचान–पत्र को) आवश्यक रूप मूल ही अवलोकित किया जाए तथा वृत्ताधिकारी कार्यालय एवं मूल पत्रावली हेतु उसकी दो छायाप्रतियाँ प्राप्त होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें।

इस संबंध में न्यायालयों से भी निवेदन किया जाए कि वे अभियुक्त एवं जमानत देने वाले व्यक्ति की उपरोक्तानुसार पहिचान उपलब्ध होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें। इन निर्देशों की पालना हेतु सभी वृत्ताधिकारी अपने क्षेत्र के थानों के संबंध में दिनांक 22.02.2019 तक जिला पुलिस अधीक्षक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रारम्भ की जा चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपने दौरों के समय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरणों के निस्तारण के समय आदेशकर्ता इन निर्देशों की पालना का सत्यापन आवश्यक रूप से करेंगे।

कृपया इसे अति–आवश्यक समझें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./प्रशिक्षण/प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस मय आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

R 895
8/2/19

परिशिष्ठ संख्या–1

क्र.सं.	व्यक्तिगत विवरण
1	आधार नम्बर
2	प्रथम नाम*
3	मध्य नाम
4	अंतिम नाम
5	लिंग*
6	उपनाम
7	वैवाहिक स्थिति
8	मोबाईल नम्बर
9	लैंडलाइन नम्बर
10	ईमेल आईडी
11	संबंधी का प्रकार (अभिवावक / पति / पत्नी / पिता / माता)
12	संबंधी का नाम
13	श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी / जनरल)
14	आयु*
15	जन्म तिथि
16	आयु (वर्ष / महीना)
17	जन्म का वर्ष
18	आयु सीमा (से–तक)
19	पता स्थाई पता
20	मकान सं.
21	गली का नाम
22	कॉलोनी / इलाका / क्षेत्र
23	ग्राम / नगर / शहर*
24	तहसील / ब्लॉक / मंडल
25	देश*
26	राज्य *
27	जिला*
28	पुलिस स्टेशन
29	पिन कोड
30	वर्तमान पता*
31	अन्य जानकारी
32	व्यवसाय
33	राष्ट्रीयता हेतु देश*
34	पहचान का प्रकार (पासपोर्ट / चालक अनुज्ञप्ति / राशन कार्ड / शस्त्र अनुज्ञप्ति / मतदाता कार्ड / आयकर पैन कार्ड / आधार कार्ड)
35	आईडी कार्ड संख्या

अन्वेषण में ग्राह्य पहचान पत्र

1. आधार कार्ड।
2. मतदाता पहचान पत्र।
3. पासपोर्ट।
4. चालक अनुज्ञा पत्र (ड्राईविंग लाईसेन्स)।
5. आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.)।
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले पहचान पत्र।
7. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक।
8. राशन कार्ड।
9. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
10. मूल निवास प्रमाण पत्र।
11. छात्र पहचान पत्र।
12. सम्पत्ति प्रपत्र उदाहरणार्थ–पट्टा, रजिस्ट्री, वाहन पंजीकरण पुस्तिका आदि।
13. शस्त्र अनुज्ञा पत्र।
14. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक अनुज्ञा पत्र।
15. पेंशन पुस्तिका जैसे–भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश आदि।
16. भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र।
17. रेलवे/बस पास।
18. शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र।
19. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।
20. बैंक क्रेडिट कार्ड।
21. बी.पी.एल. कार्ड।
22. बिल आदि।
23. किसी मौतबिर व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
24. अन्य।

(110)

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्र.सं. 2787-847 दिनांक:- 27-02-2019

परिपत्र

विषय:- प्रकरणों का अन्वेषण, न्यायालय में चालान का प्रस्तुतिकरण एवं अग्रिम अनुसंधान।

डी.बी. क्रिमिनल अपील नम्बर 1112/2014 द्वारा सलामू उर्फ सलमू बनाम राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 11.02.2019 में पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अन्तर्गत अनुसंधान पैण्डिग रखने के संबंध में टिप्पणी की गई है तथा महानिदेशक पुलिस राजस्थान से इस संबंध में विस्तृत निर्देश पारित करने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3100-50 (5/1999) दिनांक 05.08.1999, 25-72 (1/2001) दिनांक 03.01.2001, 2115-2215 दिनांक 03.03.2014 एवं 3351-3421 दिनांक 26.03.2015 द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होने पर निस्तारण के सम्बन्ध में तथा अग्रिम अनुसंधान लंबित रखने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1. सभी प्रकरणों में अनुसंधान शीघ्र एवं विधि द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अनुसंधान की समाप्ति पर जिन अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन सभी के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसमें उन अभियुक्तगण को भी सम्मिलित किया जाए जो गिरफ्तार दस्तयाब नहीं हो पाए हैं। चालान प्रस्तुत करने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में निर्धारित समयावधि का पूर्ण ध्यान रखा जाए ताकि अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं मिल सके।
3. यदि किसी प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य संकलन आवश्यक हो तो निस्तारण आदेश पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक से ही प्राप्त किये जाएं।

4. निस्तारण आदेश में पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम अनुसंधान के बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित किये जाएं।
5. यदि किसी अभियुक्त विशेष की संलिप्तता के बारे में निर्णय लिये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश में स्पष्ट अंकित किया जाए कि किन व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रिम अनुसंधान एवं अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त ही निर्णय संभव होगा ।
6. अग्रिम अनुसंधान के बिंदु एवं यदि किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अतिरिक्त साक्ष्य संकलन प्रस्तावित है तो चालान में स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
7. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन हेतु अनुसंधानाधीन प्रकरणों की पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए।
8. तीन माह की अवधि के भीतर अतिरिक्त अनुसंधान वाले प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
9. तीन माह से अधिक अवधि के बाद भी अग्रिम साक्ष्य संकलन की आवश्यकता वाले प्रकरणों में अग्रिम अनुसंधान जारी रखने की अनुमति पुलिस आयुक्त/रैंज महानिरीक्षक पुलिस से प्राप्त की जाए।
10. पुलिस आयुक्त / रैंज महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में 3 माह से अधिक अवधि तक अतिरिक्त साक्ष्य संकलन हेतु लम्बित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए तथा शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश / मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
11. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के उपरांत यदि साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो वह अविलम्ब प्रस्तुत की जाए तथा यदि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका पूर्व में चालान नहीं किया गया हो, के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने के योग्य साक्ष्य उपलब्ध हो तो अविलम्ब न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए।
12. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के अभाव में न्यायालय को सूचित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाए।
13. जिन अभियुक्तों का चालान अदम गिरफ्तारी / दस्तयाबी किया गया हो, उनके विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के अतंर्गत अन्वीक्षा (Trial) हेतु न्यायालय से निवेदन किया जाए।
14. पूर्व में गिरफ्तार / दस्तयाब होने से शेष रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की स्थिति में 24 घंटे की अवधि में बरामदगी की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया जा सकता है।